Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 115-2024/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 26, 2024 (SRAVANA 4, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 जुलाई, 2024

क्रमांक 9/90/2024-4क-II.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 203 ख की उप–धारा (2) तथा धारा 257 की उप–धारा (1) के खण्ड (यxii), (यxiii) और (यxiv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 4/13/2024 –2CI, दिनांक 15 मार्च, 2024 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा जिला आयोजना समिति गठन नियम, 1997 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:–

नियम

1. ये नियम हरियाणा जिला आयोजना समिति गठन (संशोधन) नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा जिला आयोजना समिति गठन नियम, 1997 में, नियम 3 में, उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(3) (i) पच्चीस सदस्यीय समिति में, पांच सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और इसमें सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, अपर उपायुक्त, जिला नगर योजनाकार, जिला नगरपालिका आयुक्त और प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और योजना में अनुभव रखने वाले पेशेवर में से एक व्यक्ति शामिल होगा।

(ii) बीस सदस्यीय समिति के मामले में, चार सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और इसमें उपायुक्त, अपर उपायुक्त, जिला नगर योजनाकार और जिला नगर आयुक्त शामिल होंगे। आगे, बीस सदस्यीय समिति में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों या योजना में अनुभव रखने वाले पेशेवर में से एक व्यक्ति को समिति में सलाहकार के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(iii) लोकसभा और राज्य सभा के सदस्य और हरियाणा विधान सभा के सदस्य समिति की बैठकों में विशेष आंमत्रिती होंगे, किन्तु वे केवल ऐसी एक समिति में विशेष आंमत्रित सदस्य होंगे। लोकसभा और राज्य सभा के सदस्यों और हरियाणा विधान सभा के सदस्यों, जिनके निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में आते हैं, के पास एक ऐसी समिति चुनने का विकल्प होगा, जिसकी बैठक में वे विशेष आंमत्रिती होंगे। जिला योजनाओं को तैयार करने में सहायता करने वाले जिला अधिकारियों को समिति में सलाहकार के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है।"

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 26th July, 2024

No. 9/90/2024-4C-II.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 203 B and clauses (zxii), (zxiii) and (zxiv) of sub-section (1) of section 257 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department notification No. 4/13/2024-2CI, dated the 15th March, 2024, the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Constitution of District Planning Committee Rules, 1997, namely:-

Rules

1. These rules may be called the Haryana Constitution of District Planning Committee (Amendment) Rules, 2024.

2. In the Haryana Constitution of District Planning Committee Rules, 1997, in rule 3, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) (i) in the twenty-five members Committee, five members shall be nominated by the State Government and shall include the Deputy Commissioner, the Additional Deputy Commissioner, the District Town Planner of the concerned District, the District Municipal Commissioner and one person out of the eminent economists and professional having experience in planning.

(ii) in case of twenty members Committee, four members shall be nominated by the State Government and shall include Deputy Commissioner, Additional Deputy Commissioner, District Town Planner and District Municipal Commissioner. Further in the twenty members Committee one person out of eminent economists or professional having experience in planning may be nominated as consultants in the committee.

(iii) members of the House of people and Council of State and the Members of Haryana Legislative Assembly shall be special invitees to the meetings of the Committee but they shall be special invitees only in one such Committee. Members of the House of People and Council of States and the members of the Haryana Legislative Assembly whose constituencies fall in more than one district shall have the option to choose one such Committee, in the meeting of which they shall be special invitees. The District Officers assisting in preparations of the district plans may be nominated as consultants in the Committee."

VIKAS GUPTA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

11211—C.S.—H.G.P., Pkl.